अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2000

प्रलेख सं. सी.डी.-419/2000

का.आ. 675 (अ).— राष्ट्पति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ पचासवां संशोधन) नियम, 2000 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, शीर्ष "6. संचार मंत्रालय" के अधीन, "(iii) दूरसंचार सेवा विभाग" उप-शीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) दूरसंचार प्रचालन विभाग";

(2) द्वितीय अनुसूची में "संचार मंत्रालय" शीर्ष के अंतर्गत, "ग.दूरसंचार सेवा विभाग" उप-शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप -शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"ग. दूरसंचार सेवा विभाग "

"1. दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण से संबंधित सभी मामले ।

2. दूरसंचार सेवा तथा दूरसचांर प्रचालन विभागों के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित, निगमीकरण से संबंधित या उसको प्रभावित करने वाले सभी मामले।

3. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड और टेलीकम्यूनिकेशंस केसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड ।

4. दूरसंचार सेवा विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।

5. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के बाबत फीस किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

टिप्पण :

1. इस अस्थायी विभाग के निगमीकरण के बाद, अवशिष्ट कार्य, यदि कोई होगा, तो उसे दूरसंचार विभाग को आबंटित हुआ समझा जाएगा ।

2. दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग को आबंटित कार्य को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग की सेवा इस अधिसूचना की तारीख को दूरसंचार सेवा विभाग के विद्यमान कार्मिकों द्वारा उनके अपने-अपने सचिवों के मार्फत की जाएगी ।

घ. दूरसंचार प्रचालन विभाग

1. टेलीफोन, बेतार, आंकड़ें, प्रतिकृति और टेलीमेटिक तथा दूरसंचार के ऐसे ही अन्य प्रकारों के प्रचालन से संबंधित नीति और लाइसेंसिंग को छोड़कर, अन्य सभी मामले ।

2. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट में से विकलनीय संकर्मों का निष्पादन, जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय और अर्जन भी है ।

3. निगमीकरण से संबंधित विषयों से भिन्न, दूरसंचार प्रचालन विभाग का कार्मिक प्रशासन ।

4. दूरसचांर प्रचालन विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर का उपापन ।

5. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।

6. दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित सभी वित्तीय मंजूरियां ।

7. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के बाबत फीस किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

टिप्पण :

1. इस अस्थायी विभाग के निगमीकरण के बाद, अवशिष्ट कार्य, यदि कोई होगा, तो उसे दूरसंचार विभाग को आबंटित हुआ समझा जाएगा ।

2. दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग को आबंटित कार्य को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग की सेवा इस अधिसूचना की तारीख को दूरसंचार सेवा विभाग के विद्यमान कार्मिकों द्वारा उनके अपने-अपने सचिवों के मार्फत की जाएगी ।

[फा. सं. 1/22/1/2000-मंत्रि.]
वी० के० गाबा, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2000

Doc. CD-419/2000

S.O. 675(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fiftieth Amendment) Rules, 2000.

(3) They shall come into force at once.

3. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(3) in the First Schedule, under the heading "6. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)", after sub-heading "(iii) Department of Telecom Services (Door Sanchar Seva Vibhag)", the following sub-heading shall be added, namely:-

"(iv) Department of Telecom Operations (Door Sanchar Prachalan Vibhag)";

(4) in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)", for sub-heading "C. DEPARTMENT OF TELECOM SERVICES (DOOR SANCHAR SEVA VIBHAG)" and the entries relating thereto, the following sub-headings and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"C. DEPARTMENT OF TELECOM SERVICES (DOOR SANCHAR SEVA VIBHAG)

1. All matters relating to the Corporatisation of the Department of Telecom Operations and the Department of Telecom Services.

7. All matters relating to personnel in the Departments of Telecom Services and Telecom Operations, relating to or having a bearing on Corporatisation.

3. Mahanagar Telephone Nigam Limited, Videsh Sanchar Nigam Limited and Telecommunications Consultants (India) Limited.

4. Financial sanctions relating to the Department of Telecom Services.

5. Enquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

6. Fees in respect of any of the matters specified in this list, but not including fees taken in any court.

Note-

1. On Corporatisation of this temporary Department, residual work if any, will stand allocated to the Department of Telecommunications.

2. The Department of Telecom Services and Department of Telecom Operations shall be serviced by the existing personnel, on the strength of the Department of Telecom Services on the date of this notification, through their respective Secretaries, keeping in view the business allocated to Department of Telecom Services and Department of Telecom Operations.

D. DEPARTMENT OF TELECOM OPERATIONS (DOOR SANCHAR PRACHALAN VIBHAG)

1. All matters other than policy and licensing relating to operations of telephones, wireless, data, facsimile and telematic and other like forms of telecommunications.

2. Execution of works including purchase and acquisition of land debitable to the capital Budget pertaining to telecommunications.

3. Personnel Administration of the Department of Telecom Operations other than issues having a bearing on Corporatisation.

4. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecom Operations.

5. All matters relating to C-DOT.

6. Financial sanctions relating to the Department of Telecom Operations.

9. Enquiries and statistics for purpose of any of the matters specified in this list.

10. Fees in respect of any of the matters specified in this list, but not including fees taken in any Court.

Note-

3. On Corporatisation of this temporary Department, residual work if any, will stand allocated to the Department of Telecommunications.

4. The Department of Telecom Services and Department of Telecom Operations shall be serviced by the existing personnel, on the strength of the Department of Telecom Services on the date of this notification, through their respective Secretaries, keeping in view the business allocated to Department of Telecom Services and Department of Telecom Operations.".

K.R.NARAYANAN
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2000-Cab.]
V. K. GAUBA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.